28.01.26

पत्रावली पेश हुई। बार संघ के कार्य बंद (अन्य प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। नंबर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

GCMS 2025/571

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:43:56 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

मोहम्मद अली बनाम राज0सरकार

किस्म मुकदमाः–251–क आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः– 243/2025

UCMS NO. 2025/571

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२९.01.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। बार संघ ने कार्य बंद रखा। वकील प्रार्थी ने पूर्व में बहस के दौरान प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 4 के.एस.एल. जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 71/51 के पत्थर नं. 95/62 (23) के किला नं. 6/0.253, 15/0.253 की 0.506 हैक्टर अ0क0, पत्थर नं. 115/6(22) के किला नं. 10/1 की 0.228, 11/1 की 0.228, 12 ता 14/0.759, 18–19/0.506, 20/2 में 0.228, 21/2 रि 0.101, 22/0.253 की 2.303 हैक्टर अ0क0 इस प्रकार कुल 2.809 हैक्टर अ0क0 भूमि एवं इसी चक 4 के.एस.एल. की जमाबंदी के खाता संख्या 72/52 के पत्थर नं. 95/54 (24) के किला नं. 24–25/0.506, पत्थर नं. 95/62 (23) के किला नं. 19 ता 23/1.265 हैक्टर कमाण्ड, पत्थर नं. 95/63 (36) के किला नं. 1–2/0.506 हैक्टर कमाण्ड कुल 2.277 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। इसी चक के पत्थर नं. 95/62(23) के किला नं. 5, 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 14 का रकबा मौका पर आराजी राज दर्ज है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस चक 4 के.एस.एल. के पत्थर नं. 115/6 (22) के किला नं. 1–10–11–20–21 में मंजुरशुदा रास्ता चालू है, जिससे प्रार्थी अपने नाम के पत्थर नं. 115/6 व 95/62 के किलर लं. 6–15 के रकबा में आता जाता है। परन्तु प्रार्थी के नाम चक 4 के.एस.एल. के खाता संख्या 72/52 के पत्थर नं. 95/62 के किला नं. 19 ता 23 के रकबा में आने–जाने हेतु कोई मन्जुरशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी इन किलों में जाने के लिए इसी पत्थर नं. 95/62 के किला नं. 15 जो प्रार्थी का खातेदारी रकबा है व किला नं. 12 ता 14 जो मौका पर आराजी राज दर्ज है, के किलों से दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 2–2 बिस्वा चौड़ाई में अर्सा दराज से रास्ता हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। इसलिये उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता की अत्यांतिक आवश्यक है एवं प्रार्थी को अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। कोई विवाद/स्थगन/रहन नही है। प्रस्तावित रास्ता में मकान/पेड़ इत्यादि नही है। रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 4 के.एस.एल. के खाता संख्या 72/52 के पत्थर नं. 95/54 (24) के किला नं. 24–25/0.506, पत्थर नं. 95/62 (23) के किला नं. 19 ता 23/1.265 हैक्टर कमाण्ड, पत्थर नं. 95/63 (36) के किला नं. 1–2/0.506 हैक्टर कमाण्ड कुल 2.277 हैक्टर कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है। उक्त रकबा को आवागमन हेतु स्वीकृतुशदा रास्ता नही लगता है। प्रार्थी पत्थर नं. 95/62 के किला नं. 12/0.013 (दक्षिणी–पूर्वी कोना), 13/0.025, 14/0.025 हैक्टर दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने भी कोई विपरित टिप्पणी नही की है। रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता बताई है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 4 के.एस.एल. के खाता संख्या 72/52 के पत्थर नं. 95/54 (24) के किला नं. 24–25/0.506, प[illegible]62 (23) के किला नं. 19 ता 23/1.265 हैक्टर कमाण्ड, पत्थर नं. 9[illegible] के किला नं. 1–2/0.506 हैक्टर कमाण्ड कुल 2[illegible] में आवागमन हेतु इसी चक 4 के.एस.ए[illegible] किला नं. 12/0.013 (दक्षिणी–पूर्वी कोना), 13/0[illegible] से पश्चिम लम्बाई में रास्ता स्वीकृत स्व[illegible] स्वीकृतशुदा रास्ता के बदला में वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. राशि की [illegible] राशि राजकोष में जमा करवाये। उक्त राशि जमा करवाने के उपरान्त स्वीकृत रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे। स्वीकृत रास्ता का उपयोग सार्वजनिक रहेगा। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:43:56 IST
Reason: SelfAttested